

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 2021

विषय- जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकलां से केसार सम्पर्क मार्ग किमी० 0.00 से 22.80 किमी० तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/Road/35291/2018)

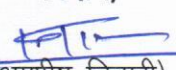
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/06/58/2021/एफ०सी०/1324, दिनांक 10.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-160/11-सी-एफपी/यूपी/Road/35291/2018, दिनांक 14.07.2021 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनाएं शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 14.07.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर एवं आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव